उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(उ0 प्र0 सरकार का उपकम)

U.P. POWER CORPORATION LIMITED

(Govt. of Uttar Pradesh+ Undertaking)

SHAKTI BHAWAN: 14-ASHOK MARG,

दिनांक 26.11.09

सं0– 187 – विनियम एंव औस /पाकालि/09–9 विनियम/85

कार्यालय ज्ञाप

एतदद्वारा, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 के निदेशक मण्डल द्वारा अपनी 81 वीं बैठक दिनांक 30.10.09 की मद संख्या इक्यासी (27)/09 पर लिये गये निर्णय के अनुपालन में निम्नवत् आदेशित किया जाता है:–

1. **टीजी–।।/केबिल ज्वाइटर/टेक्नीशियन ग्रेड–। पदधारको की संयुक्त वरिष्ठता सूची के आधार पर चयन कर अवर अभियन्ता (सामान्य श्रेणी) के पद पर नियुक्ति हेतु जारी** पूर्व कार्यालय ज्ञाप सं0 61 –औस एवं विनियम/पाकालि/08 – 2(21)एनजीए/04 दिनांक 06.11.08 के प्रस्तर–4 के नीचे निम्न प्रस्तर– 17 ए रखा जाता है:–

" 17 ए (।)–विद्युत सेवा आयोग मुख्य अभियन्ता (जल विद्युत), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन, लि0, लखनऊ से प्राप्त अवर अभियन्ता (सामान्य श्रेणी) के पद पर चयन हेतु अर्ह कार्मिको की प्रदेश स्तर की अन्तिम संयुक्त वरिष्ठता सूची में से विद्युत वितरण कम्पनी/ट्रान्समिशन कारपोरेशन/केस्को में उपलब्ध रिक्तियों के तीन गुना कार्मिको का उक्त कार्यालय ज्ञाप सं0 61 –औस एवं विनियम/पाकालि/08–2 (21) एनजीए/04 दिनांक 06.11.08 में प्राविधानित शैक्षिक योग्यता/अनुभव /साक्षात्कार आदि के आधार पर चयन सम्पन्न करेगे,

17 ए (।।)– विद्युत सेवा आयोग उक्त प्रस्तर–17 ए(।) में बनाई गई चयनित अभ्यार्थियो की सूची को कार्यालय ज्ञाप सं0 3611–अरा0 09(ब)/पाकालि/08–93–अरा0 –09(ब)/07 दिनांक 25.11.08 के प्रस्तर–3 में इंगित मार्ग–दर्शिका के अनुसार पुर्नस्थापित कर चयनित कार्मिको की संयुक्त श्रेष्ठता सूची बनाकर मुख्य अभियन्ता (जल विद्युत) को उपलब्ध करायेगे,

17 ए (।।।)– उक्त प्रस्तर– 17 ए (।।) में विद्युत सेवा आयोग से प्राप्त चयनित कार्मिको की श्रेष्ठता सूची के अनुसार मुख्य अभियन्ता (जल विद्युत) चयनित कार्मिको की विद्युत वितरण कम्पनी/ट्रान्समिशन कारपोरेशन/केस्को मे नियुक्ति हेतु नियुक्ति–पत्र जारी कर चयन/नियुक्ति प्रक्रिया पूर्ण करेगे।

2. पूर्ववर्ती उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद अवर अभियन्ता (विद्युत एवं यांत्रिकी) सेवा विनियमावली, 1972 की धारा– 6 (।) जो कार्यालय ज्ञाप सं0– 135–विनियम–23/पाकालि–06–9–विनियम/85 दिनांक 17.08.06 द्वारा संशोधित की गई है, के विद्यमान प्राविधान स्तम्भ–। को निम्नवत् स्तम्भ–2 द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है:

स्तम्भ–1	स्तम्भ–2
धारा – 6(1) : – परिचालकीय संवर्ग से अवर अभियन्ता (सामान्य श्रेणी) संवर्ग में पदोन्नति कोटा 33.33 प्रतिशत	धारा – 6(1) : परिचालकीय संवर्ग से अवर अभियन्ता (सामान्य श्रेणी) संवर्ग में पदोन्नति हेतु निर्धारित 40 प्रतिशत कोटे के अतिरिक्त 8.33 प्रतिशत कोटा उच्चतर तकनीकी शैक्षिक योग्यताधारी (यथा

क्र०प०30

A.S (N.G)

से बढ़कार 40 प्रतिशत किया जाता है।	डिप्लोमा / डिग्री आदि) परिचालकीय संवर्ग के कार्मिकों हेतु निर्धारित किया जाता है।

3. उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभावी होगे।

निदेशक मण्डल की आज्ञा से
नवनीत सहगल
अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक

पृ0 सं0– 187 (I)– विनियम एंव औस / पाकालि / 09–9 विनियम / 85 तद्दिनांक। 26/11/09

प्रतिलिपि कृपया सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. प्रमुख सचिव (ऊर्जा), उ0प्र0 शासन, बापू भवन, लखनऊ।
2. अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के प्रमुख निजी सचिव।
3. अपर प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
4. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0 / उ0प्र0 राज्य जल विद्युत निगम लि0 / उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लिमिटेड, लखनऊ।
5. समस्त निदेशक गण, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड के निजी सचिव।
6. प्रबन्ध निदेशक, पूर्वांचॉल / मध्यॉचल / पश्चिमॉचल / दक्षिणॉचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, वाराणसी / लखनऊ / मेरठ / आगरा / केस्को, कानपुर।
7. अध्यक्ष, विद्युत सेवा आयोग, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड / उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड, लखनऊ।
8. मुख्य अभियन्ता (ज0वि0), उ0प्र0पा0का0लि0, लखनऊ।
9. महाप्रबन्धक (लेखा एवं प्रशासन) / महाप्रबन्धक (औस), उ0प्र0पा0का0लि0, लखनऊ।
10. अपर सचिव–प्रथम / द्वितीय / तृतीय / अरा0, उ0प्र0पा0का0लि0, लखनऊ।
11. संयुक्त सचिव (काविनी), उ0प्र0पा0का0लि0, लखनऊ ।
12. समस्त मुख्य अभियन्ता / अधीक्षण अभियन्ता, उ0प्र0पा0का0लि0 / उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन लिमिटेड / डिस्काम / केस्को।
13. कम्पनी सचिव, उ0प्र0पा0का0लि0, लखनऊ को उनके पत्रांक 1022 / पाकालि / बैठक (81) / 2009 दिनांक 19.11.09 के सन्दर्भ में ।

26/11/09
(जावेद अहमद)
अनुसचिव (विनियम)

A.S (N.G)